2019/00331

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : **341/2019** (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि॰ रजिस्टर्ड आफिस द्वितीय मंजिल राजलोक बिल्डिंग 24, नेहरू पैलेस न्यू दिल्ली, क्षेत्रिय कार्यालय आफिस नम्बर 302–303 तृतीय मंजिल लुहाडिया टावर के–11, अशोक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. ललित सोनी पुत्र श्री दामोदर सोनी
   पता निवासी–1666, ठठेरों का रास्ता,चौडा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर एवं
   194 ए, कृष्णा नगर, पत्रकार कालोनी रोड, ग्राम गोलीयावास, मानसरोवर जयपुर ।
2. श्रीमती निर्मला सोनी पत्नी श्री दामोदर सोनी
3. दामोदर हनुमान सहाय
   निवासी–1666, ठठेरों का रास्ता,चौडा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

उपस्थितः–श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

निर्णय दिनांक 4-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2017 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती निर्मला सोनी फ्लैट नं.जी–2, ग्राउण्ड फ्लोर स्थित प्लाट नं॰ बी–75, मंगलम सिटी ब्लाक बी, ग्राम हाथोज कालवाड रोड जयपुर क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट को बन्धक रख कर 20,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्थ को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.05.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नही है।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 जनवरी 2011 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.05.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रेंकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में श्रीमती निर्मला सोनी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति फ्लैट नं.जी–2, ग्रराउण्ड फ्लोर स्थित प्लाट नं.बी–75, मंगलम सिटी ब्लाक बी, ग्राम हाथोज कालवाड रोड जयपुर क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

7. आदेश आज दिनांक 4-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

Ext